उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 8/2020/1912 /एक-1-2019-रा0-1
लखनऊ: दिनाँक: 11 फरवरी, 2020

अधिसूचना

जिलाधिकारी कानपुर देहात के पत्र संख्या-801/डीएलआरसी-का0दे0-विनिमय प्रस्ताव/2018 दिनाँक 11.08.2018 व पत्र संख्या-152/डीएलआरसी-का0दे0-विनिमय प्रस्ताव/2019 दिनाँक 06.02.2019 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम किशरवल तहसील-अकबरपुर जनपद कानपुर देहात की नाली खाते में दर्ज गाटा संख्या-887/0.031हे0, गाटा सं0-904/0.012हे0 तथा चकरोड खाते में दर्ज गाटा सं0-888/0.059हे0, गाटा सं0- 901/0.014हे0, गाटा सं0-903/0.022हे0, एवं ऊसर खाते में दर्ज गाटा सं0-890/0.020हे0, अर्थात कुल 6 किता कुल रकबा 0.0158हे0 ग्राम सभा भूमि का संस्था मे0 कानपुर एडविल्स की भूमि गाटा सं0- 875/0.007हे0, गाटा सं0-874/0.024हे0, गाटा सं0-893/0.096हे0 व गाटा सं0-896/0.048हे0 अर्थात कुल 4 किता कुल रकबा 0.0175हे0 से श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परितर्वन अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। संस्था के प्रवर्तक श्री मधुर अग्रवाल से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का मूल्य निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम किशरवल स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त संस्था की भूमि को नाली, चकरोड व ऊसर के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चति की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(4) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(5) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर।

3- जिलाधिकारी, कानपुर देहात

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।